प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक 22.02.2025**

थाना दोघट पुलिस एवं बागपत स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना के मु0अ0सं0 34/2025 धारा 109/61 बीएनएस व मु0अ0सं0 40/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 10000 रुपये ईनामिया अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट।

कार्यवाही-

दिनांक 09.02.2025 को वादी गौरव पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम निस्तौली थाना टिला मोड जनपद गाजियाबाद द्वारा डायल-112 को सूचना दी तथा थाना दोघट पर तहरीर दी कि मोटरसाईकिल पैशन प्रो रंग काला पर सवार 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की पत्नी व बेटी को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी है, जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 109 बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान संदिग्ध व प्रर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर वादी से पूछताछ की गयी तो उक्त घटना वादी द्वारा ही अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र पुत्र सुभाष निवासी ग्राम जसनावली थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी जावली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष व 2.सोनू पुत्र भानुप्रकाश निवासी मैहमदपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 27 वर्ष 3. कैलाश सिंह पुत्र ब्रहमसिंह निवासी भटौला थाना शिकारपुर बुलन्दशहर 4. पंकज पुत्र ज्ञानसिंह निवासी मुढिया खेडा थाना भिण्ड जनपद भिण्ड व 5- सौरव पुत्र सुरेश निवासी मुडिया खेडा चौराहा थाना व जनपद भिण्ड (मध्य प्रदेश) को रूपयो का लालच देकर अपनी पत्नी नीतू को जान से मारने के लिये गोली चलवाई थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरव पुत्र सुरेश निवासी मुडिया खेडा चौराहा थाना व जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश (घायलावस्था)

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस .315 बोर
- मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट ।

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्त सौरव ने बताया कि गौरव पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम निस्तौली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद के कहने पर मैने व गौरव ,देवेन्द्र पुत्र सुभाष निवासी ग्राम जसनावली थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी जावली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष व सोनू पुत्र भानुप्रकाश निवासी मैहमदपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर व कैलाश सिंह पुत्र ब्रहमसिंह निवासी भटौला थाना शिकारपुर बुलन्दशहर ,पंकज पुत्र ज्ञानसिंह निवासी मुढिया खेडा थाना भिण्ड जनपद भिण्ड के साथ योजना बनाकर दिनांक 09.02.2025 को गौरव की पत्नी नीतू को दाहा-बरनावा तिराहे पर हत्या करने के इरादे से गोली मारी थी । मैं और मेरे साथी मौके से भाग गये थे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

2.स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री सूर्यदीप सिंह बागपत।

3.व0उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत

4.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

5.उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत।

6.उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

7.उ0नि0 श्री मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत।

8.उ0नि0 श्री सतीश कुमार स्वाट टीम बागपत।

9.है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत

10.है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम बागपत।

11.है0का0 489 सुनील कुमार स्वाट टीम बागपत

12.है0का0 680 अमरजीत स्वाट टीम बागपत।

13.का0 25 राजीव कुमार स्वाट टीम बागपत।

14.का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम बागपत।

15.का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम बागपत।

16.का0 402 विशाल पूनिया स्वाट टीम बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनाँक 22.02.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर मोबाइल के मालिक को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

थाना चांदीनगर पर दिनांक 25.01.25 को आवेदिका ने अपना मोबाइल गुम होने के संबंध में लिखित सूचना दी, सूचना को जीडी में मोबाइल गुमशुदगी अंकित करते हुए मोबाइल खोज हेतु CEIR PORTAL **पर अपलोड किया गया दिनांक 22.02.25 को गुम हुआ मोबाइल मिलने के बाद आवेदिका की बहन गुम हुआ मोबाइल फोन सुपुर्द किया गया।**

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 22.02.2025**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 40/25 धारा 305 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई सिलाई मशीन की मोटर बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 21.02.25 को थाना रमाला पर वादी श्री बबलू पुत्र हमीद निवासी ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा उसके घेर में रखी सिलाई मशीन की मोटर को चोरी करते हुए अभियुक्त अरमान पुत्र सलीम निवासी ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत को जनता की मदद से पकड कर थाने लाया गया। थाना रमाला पुलिस द्वारा अभियुक्त अरमान को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से चोरी की हुई सिलाई मशीन की मोटर बरामद हुई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 40/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरमान पुत्र सलीम निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- सिलाई मशीन की मोटर

गिरफ्तार/हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

1-म0है0का0 48 मीनू शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 963 प्रभात यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 676 अखिल धारीवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।